म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बी-6/नियमन/2020-21/408 भोपाल, दिनांक 26/06/2020

प्रति,

01. संयुक्त संचालक/उप संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय..................(समस्त)

02. भारसाधक अधिकारी/सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
.... (समस्त)जिला................

विषय :- हम्माल-तुलावटियों को बिना कार्य के भुगतान न करने बावत्।

--00--

प्रदेश की 259 मण्डी समितियों में से 154 मण्डी समितियों में 185 बड़े इलेक्ट्रानिक तौलकांटे बी.ओ.टी. आधार पर लगाए गए हैं। तौलकांटे से तुलाई का उद्देश्य मण्डी समितियों में सीजन के समय किसानों की अधिक संख्या में मण्डी में आने से उन्हें अपनी उपज विक्रय में अधिक समय न लगे इसलिए कृषि उपज के घोष विक्रय पश्चात् तुरन्त बड़े तौलकांटे पर तुलाई कार्यवाही पूर्ण होकर वह मण्डी से घर जा सके और मण्डी में अनावश्यक असुविधा न हो।

बड़े तौलकांटे स्थापित होने के बाद समय-समय पर किसानों की कृषि उपज को मण्डी में स्थापित बड़े तौलकांटे पर तुलाई कराने तथा खाली समय में व्यापारी की उपज की भी तुलाई किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

विभिन्न मण्डी समितियों से ऐसी शिकायतें प्रकाश में आ रही हैं कि किसानों की कृषि उपज बड़े तौलकांटें पर तुलने के बाद भी पुन: छोटे तौलकांटे पर तुलाई की जाती है जिसमें किसानों से हम्माली एवं तुलाई की राशि काटी जाती है जो कतई उचित नहीं है।

अत: ऐसी सभी मण्डी समितियां जिनमें वर्तमान में बड़े इलेक्ट्रानिक तौलकांटे स्थापित हैं उनमें निम्नानुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जाए :-

01. किसानों द्वारा ट्राली में खुले रूप में कृषि उपज (केवल एक जिंस) लाई जाती है तो उसकी तुलाई शत-प्रतिशत बड़े इलेक्ट्रानिक तौलकांटे से की जाए और इसमें किसी प्रकार की हम्माली और तुलाई की राशि किसानों से नहीं काटी जाएगी। कृषि उपज के वजन के लिए बड़े इलेक्ट्रानिक तौलकांटे की पर्ची मान्य होगी।
02. ऐसे किसान जिनके द्वारा अपनी कृषि उपज बोरों में भरकर मण्डी में विक्रय हेतु लाई जाती जिसमें एक वाहन में एक से अधिक प्रकार की कृषि उपज अथवा

एक से अधिक किसानों की कृषि उपज हो सकती है के संबंध में उपज के घोष विक्रय के पश्चात् क्रेता और विक्रेता की आपसी सहमति से तुलाई की व्यवस्था की जाए। इसमें नियमानुसार हम्माली और छोटे तौलकांटे पर तुलाई की स्थिति में अनुपातिक रूप से तुलाई की राशि किसानों से देय होगी।

उपरोक्तानुसार व्यवस्था केवल ऐसी मण्डी समितियों में लागू है जिनमें बड़े इलेक्ट्रानिक तौलकांटे स्थापित हैं। यदि भविष्य में अन्य मण्डियों में भी बड़े तौलकांटे लगाए जाते हैं तो उपरोक्तानुसार व्यवस्था ही तौलकांटे स्थापित होने की दिनांक से प्रभावशील होंगे।

उपरोक्त के संबंध में बड़े इलेक्ट्रानिक तौलकांटे की तुलाई के पश्चात् भी यदि किसी मण्डी समिति में पुनः तुलाई कराने पर किसान से तुलाई एवं हम्माली की राशि काटी जाने पर संबंधित मण्डी सचिव व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

25.6.20

(संदीप यादव)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी-6/नियमन/2020-21/409 भोपाल, दिनांक 26/06/2020

प्रतिलिपि :-

01. निज सचिव, माननीय मंत्री, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल
02. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
03. कलेक्टर, जिला .... (समस्त)।
04. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
05. चीफ प्रोग्रामर, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. गार्ड फाईल/समस्त शाखा, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।

25.6.20

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल